25/74 5726/104

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 062563

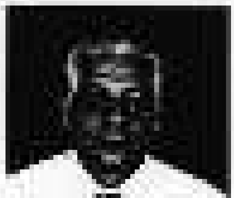

For Saman Buildtech Private Limited

Authorised Signatory

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रु0 9,53,420/-
बाजारू मूल्य	: रु0 5,30,750/-
स्टाम्प शुल्क	: रु0 95,400/-
परगना	: बिजनौर

यह विक्रय विलेख राम दयाल पुत्र लखिमन, निवासी–यूसुफ नगर उर्फ धमौसमऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला–

For Saman Buildtech Private Limited

Authorised Signatory

[illegible]

[illegible]

[illegible] 23-6-06 [illegible]

(पु० कं० श्रीवास्तव)

[illegible] 23-6-06

[illegible]

[illegible]

भारत INDIA NON JUDICIAL

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000

Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

062564

-2-

लखनऊ जिन्हें आगे ''विक्रेता'' कहा गया है, एवम् सहनाम बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री बेनी प्रसाद द्विवेदी, वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रशासन), कार्यालय-तृतीय तल, वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि सम्बन्धित षटवार्षिक खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 89 के खसरा संख्या-125 रकबा 1.153 हेक्टेयर में से आधा हिस्सा 0.386

For [illegible] Private Limited

Authorised Signatory

पहचान करने वाले श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

उप निबन्धक

दिनांक

25-6-06

प्रस्तुत पत्र साक्षियों के निशान अंगूठे [illegible]

(ई० डी० [illegible])

उप निबन्धक-प्रथम

दिनांक

25-6-06

भारत गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 062565

- 3 -

हेक्टेअर, स्थित ग्राम कुतुब नगर उर्फ बगियाऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ, का मालिक, काबिज व दाखिल है, एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने इसे इस विलेख के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

062566

ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 9,53,420/- (रूपया नौ लाख तिरपन हजार चार सौ बीस मात्र) के प्रतिफल में विलेख के उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

0388 363524

विक्रेता उक्त क्रेता के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को बराई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग

For [illegible] Holdings Private Limited

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 983889

-8-

को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगी एवं न ही कोई मांग कर सकेंगी। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या लाभ से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त

For Salman [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

Private Limited

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 983891

- 8 -

उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम चुहुक नगर (अनियामक) अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रु0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.386 हेक्टेअर की बाजारू मालियत रु0 4,24,600/- होती है क्योंकि उक्त भूमि कम्पनी के नाम क्रय की जा रही है अतः विक्रीत भूमि की बाजारू मालियत पर 25

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रतिशत अतिरिक्त के साथ विक्रीत भूमि की बाजारू मालियत कुल रू0 5,30,750/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 95,400/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही

है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने अपने पूरे होशो-हवास व बिना किसी जोर-दबाव के क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि सत्यापित पटवार्षिक खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 89 के खसरा संख्या-125 रकबा 1.153 हेक्टेअर में से अपना हिस्सा 0.386 हेक्टेअर, स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियाऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊजिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा नं0 125

पूरब	: खसरा संख्या-150
पश्चिम	: खसरा संख्या-126
उत्तर	: खसरा संख्या-124
दक्षिण	: खसरा संख्या-129

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल रू0 9,53,420/- (रूपया नौ लाख तिरपन हजार चार सौ बीस मात्र) में से रू0 5,00,000/- (रूपया पांच लाख

मात्र) द्वारा चेक संख्या–455775 व रु0 4,53,420/– (रूपया चार लाख तिरपन हजार चार सौ बीस मात्र) द्वारा चेक संख्या–455776, दोनों दिनांकित 29.06.2006, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लखनऊ

दिनांक: 29.06.2006

गवाह

1. लखनऊ

विक्रेता

टाईपकर्ता

(अभय शाह)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अनवर हुसैन)

एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा – 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर प्रिन्टस

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता : [illegible] .... [illegible] ....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

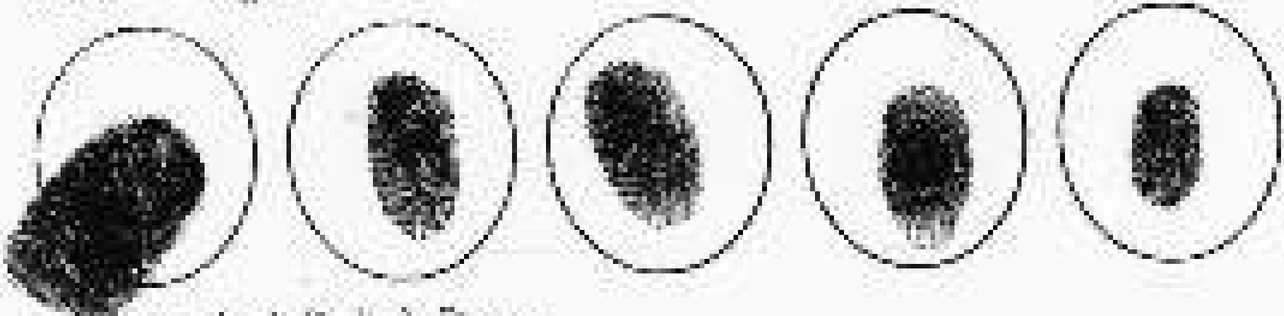

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

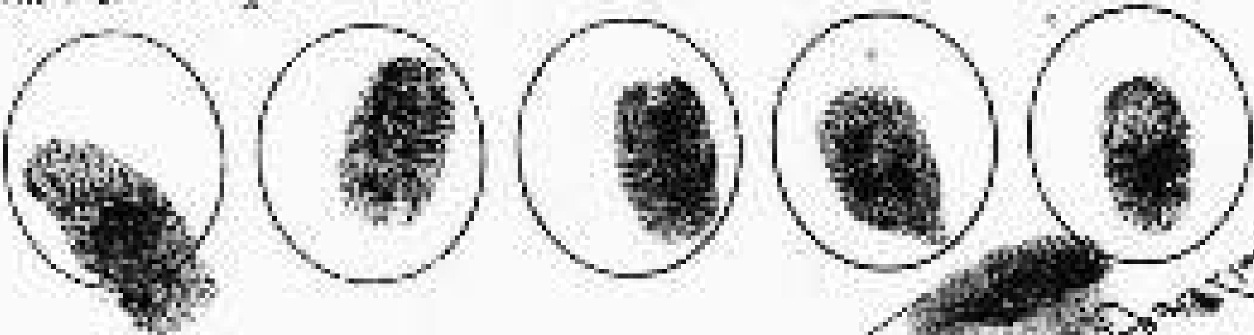

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :– [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

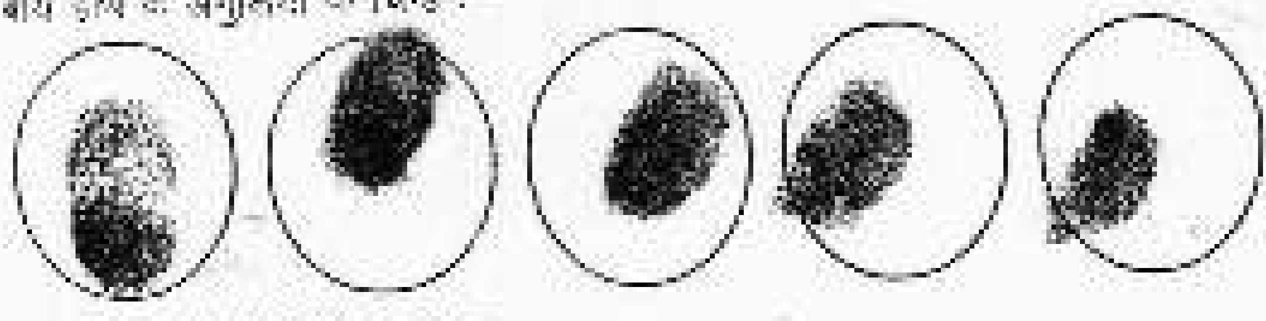

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

[illegible]

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

नक्शा - नजरी

स्थान :- [illegible]

खसरा नं० :- 135

विक्रेता :- [illegible]

क्रेता :- [illegible]

[illegible]

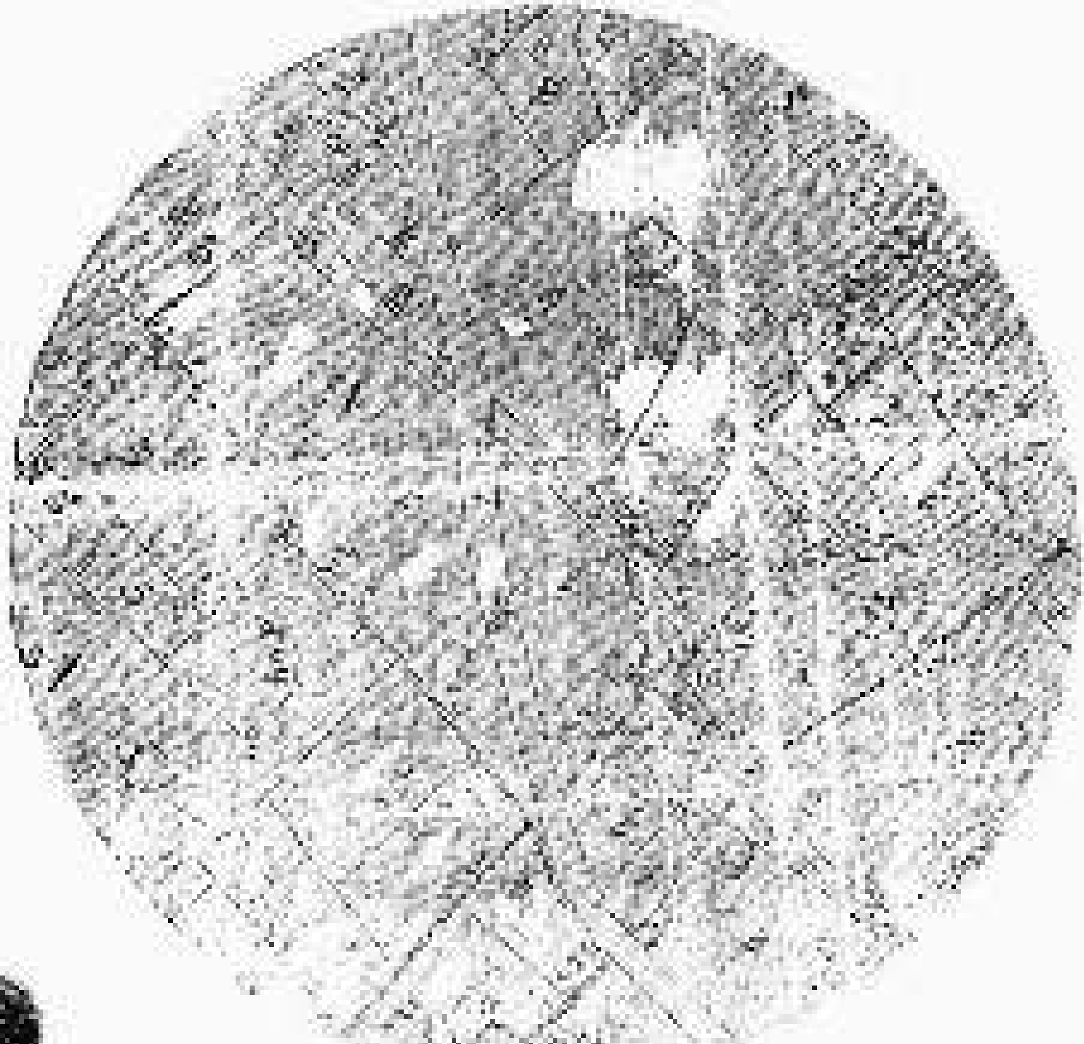

[illegible]

[illegible] 29-606
[illegible] 2673
[illegible] 351 [illegible] 5726
[illegible]